भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3799
उत्तर देने की तारीख 23.03.2023

कुटीर और लघु उद्योगों में सुधार

3799. श्री मितेष पटेल (बकाभाई):
श्री रमेश बिन्दः
श्रीमती शारदा अनिल पटेलः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार द्वारा कुटीर और लघु उद्योगों में सुधार हेतु चलायी जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ख) सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों में कुटीर उद्योगों की स्थापना हेतु प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) और (ख) 'कुटीर उद्योग' को खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, 'कुटीर उद्योग' की विस्तृत रूपरेखा को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के ''ग्राम उद्योग'' कार्यक्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया गया है और इसके कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के उद्देश्य से मुख्य रूप से छह समूहों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नलिखित हैं:

i. कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)
ii. खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)
iii. स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग
iv. हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचपीएलपीआई)
v. ग्रामीण अभियांत्रिकी और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (आरईएनटीआई)
vi. सेवा उद्योग

एमएसएमई मंत्रालय निम्नलिखित स्कीमों के माध्यम से ग्रामोद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने और उनके विकास हेतु सहायता प्रदान कर रहा है:

1. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** पीएमईजीपी गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार अवसरों के सृजन के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक ऋण-संबद्ध सब्सिडी कार्यक्रम है

पीएमईजीपी के अंतर्गत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत के 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों, जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगजनों, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिलों, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि के लाभार्थियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% मार्जिन मनी सब्सिडी है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रु. और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रु. है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित मौजूदा सूक्ष्म इकाइयों को 15% तक की सब्सिडी (पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 20%) के साथ 1 करोड़ रु. तक की द्वितीय वित्तीय सहायता के माध्यम से उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, मौजूदा उद्यमियों की इकाइयों को ऊपर उठाने के लिए विभिन्न वित्तीय, विपणन और प्रचालन पहलुओं पर उनका विशेषज्ञों के माध्यम से नियमित पथ-प्रदर्शन प्रदान किया जाता है।

पीएमईजीपी के अंतर्गत, कुल इकाइयों का लगभग 80% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जबकि कुल इकाइयों का ~14% आकांक्षी जिलों में हैं। इसके अलावा, कुल इकाइयों का लगभग 50% महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाली हैं।

वर्ष 2008 में इसकी शुरुआत से, लगभग 70 लाख कुल अनुमानित रोजगार का सृजन करते हुए 8.64 लाख से अधिक उद्यमों को सहायता प्रदान की गई है। पीएमईजीपी के अंतर्गत मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में अब तक (दिनांक 20.03.2023 की स्थिति के अनुसार) लगभग 21,714 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं।

2. **ग्रामोद्योग विकास योजना**: केवीआईसी, स्कीम के विभिन्न घटकों के अंतर्गत, विभिन्न उद्योगों में ग्रामीण और परंपरागत कारीगरों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है और ग्रामीण व्यक्तियों के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उनको उन्नत औजार और उपकरण प्रदान करता है:

i. **हनी मिशन** मधुमक्खी पालन कार्यकलापों को बढ़ावा देता है तथा ग्रामीण भारत, विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में, किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करता है। स्कीम के अंतर्गत, लाभार्थियों को जीवित मधुमक्खी कालोनियों के साथ 10 मधुमक्खी बक्से, टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017-18 से 2022-23 (31.12.22) तक-17823 मधुमक्खी पलकों को 177039 मधुमक्खी बक्से वितरित किए गए हैं।

ii. **कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम** ग्रामीण कुम्हारों को इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील के साथ अन्य औजार और उपकरण के वितरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2018-19 से 2022-23 (31.01.23) तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित कुम्हारों को 24,410 इलेक्ट्रिक पॉटरी व्हील का वितरण किया गया है।

iii. **अगरबत्ती कार्यक्रम** में तेल एवं साबुन उद्योग, सुगंधित तेल और सुगंध, कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पाद इत्यादि शामिल हैं। स्कीम के अंतर्गत, अगरबत्ती बनाने वाले कारीगरों को मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से 10 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है और व्यक्तिगत लाभार्थियों/कारीगरों को अगरबत्ती मशीनें (स्वचालित और हाथ से चलने वाले), टूलकिट और उपकरण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2020-21 से 31.01.2023 तक, 1000 लाभार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है और पैडल संचालित अगरबत्ती निर्माण मशीन प्रदान किया गया है।

iv. **चमड़ा फुटवियर कार्यकलाप** कारीगरों को मशीन/उपकरण और 25 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2018-19 से 09.02.2023 तक, 3094 लाभार्थियों को औजार और उपकरणों की सहायता प्रदान की गई है।

3. **परंपरागत उद्योगो के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति):** इस स्कीम के अन्तर्गत, परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को मूल्य वर्धित पारंपरिक उत्पाद बनाने और कारीगरों को वर्धित स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए सामूहिक विनिर्माण उद्यमों में संगठित किया जाता है। कौशल उन्नयन, विपणन और डिजाइन सहायता आदि के साथ सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना, नई मशीनरी की खरीद के लिए सहायता प्रदान की जाती है। स्फूर्ति के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्रों में हस्तशिल्प, वस्त्र, बांस, कृषि-प्रसंस्करण, शहद, खादी, कयर आदि शामिल हैं।

भारत सरकार की कुल 1292.24 करोड़ रू. की सहायता से वर्ष 2015-16 से स्फूर्ति के अन्तर्गत देश भर में 2.94 लाख कारीगरों को सीधे लाभान्वित करते हुए कुल 498 क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं।

उपर्युक्त स्कीमों के अतिरिक्त, मंत्रालय/केवीआईसी मौजूदा गाँवों/ग्रामीण उद्योगों को निम्नानुसार सहायता प्रदान करता है:

i. केवीआईसी ने www.ekhadiindia.com और www.khadiindia.gov.in के माध्यम से सभी केवीआई उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दी है, जिससे व्यवसाय में वृद्धि और अतिरिक्त रोजगार का सृजन हुआ है।

ii. केवीआईसी विपणन सहायता प्रदान करता है और प्रदर्शनियों का आयोजन करता है जहां संस्थाएं और उद्यमी अपने उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन कर सकते हैं।

iii. विशिष्ट और गुणवत्ता उत्पादों के उत्पादन में शामिल चयनित उद्यमियों और कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

***